पांच रुपये
FIVE RUPEES

पांच रुपये
FIVE RUPEES

पांच रुपये
FIVE RUPEES

(202)

न्यायालय राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर म0प्र0

प्रकरण क्रमांक :2000-2001 निगरानी

R-422-पी/2001

पुरूषोत्तम पिता लक्ष्मीनारायणजी ब्राम्हण
आयु 48 वर्ष व्यवसाय कृषि,
निवासी ग्राम बालोदालखा तहसील बड़नगर
जिला उज्जैन ----अपीलान्ट

विरुद्ध

भेरूसिंह पिता हरिसिंहजी राजपूत
निवासी ग्राम बालोदा लखा तहसील बड़नगर
जिला उज्जैन ----------रिस्पान्डेंट

दिनांक 20-2-2001 को अर्जेन्ट कैम्प पर श्री आवेदक कुरैशी आदि द्वारा प्रस्तुत।
20-2-2001
रीडर

पुनरीक्षण आवेदनपत्र धारा 50 म0राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक अधीनस्थ योग्य न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 7:94-95 निगरानी मे पारित आदेश दिनांक 2000 से असन्तुष्ट एवम दु:खित होकर निम्नकारणो के आधार पर पुनरी आवेदनपत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत करता है :-

1:- यह कि अधीनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश जेर निगरानी विधि विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2:- यह कि अधीनस्थ योग्य न्यायालय द्वारा बिना किसी उचित के आवेदक नायब तहसीलदार महोदय द्वारा जो अन्तरिम रास्ता दिया गया था उसको निरस्त करने मे महान वैधानिक त्रुटि की है।

3:- यह कि आवेदक का अनावेदक की भूमि सर्वेनम्बर 1285 की उत्तर से होता हुआ,रूढिगत वहीवटी रास्ता चला आ रहा है परन्तु अनावेदक ने बिना किसी उचित कारण के रास्ते को रोक दिया जिसे ना महोदय द्वारा खोलने का आदेश दिया जिसे निरस्त करने मे त्रुटि की है।

203

T62

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग.-422/दो/2001

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
30-8-19	आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 18/01/2017 से लगातार अनुपस्थित है। जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है। अत: यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	